Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 50–2025] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 11, 2025 (AGRAHAYANA 20, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विरासत तथा पर्यटन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 दिसम्बर, 2025

संख्या 12/250–2024/पुरा/4786–94.– चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों तथा प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों का हरियाणाा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) के अधीन संरक्षण अपेक्षित है;

इसलिए, अब, हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, के साथ जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विरासत तथा पर्यटन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, पर विचार करेगी।

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
टोहाना बावड़ी	टोहाना बावड़ी	टोहाना	टोहाना/फतेहाबाद	खेवट संख्या 191/26,192/26/228	2–18	निजी	टोहाना बावड़ी, जिसे पुरानी खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, टोहाना में पुराने बस स्टैंड के पास स्थित एक ऐतिहासिक बावड़ी है। हालाँकि इसके वास्तुकार और निर्माण की सही तारीख के बारे में विशिष्ट विवरण अज्ञात है, फिर भी ऐतिहासिक विवरणों, विशेष रूप से जे.रॉजर्स के आधार पर

							व्यापक रूप से माना जाता है कि बावड़ी का निर्माण लोधी शासकों के काल में हुआ था, जिन्होंने 1451 से 1526 तक शासन किया था। दिल्ली–मुल्तान व्यापार मार्ग पर स्थित, यह उस काल में पेयजल का एक महत्वपूर्ण स्रोत और यात्रियों और व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता था। वास्तुकला की दृष्टि से, टोहाना बावड़ी कैथल बावड़ी से समानताएँ साझा करती है, जिसमें सुरूचिपूर्ण डिज़ाइन तत्व शामिल हैं। विशेष रूप से दूसरे मेहराब के मुख्य मेहराब में एक विशिष्ट नुकीला आकार है, जो उस समय की स्थापत्य शैली को दर्शाता है और इस संरचना के ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाता है। अपनी असुरक्षित स्थिति के बावजूद, टोहाना बावड़ी इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य विरासत का प्रमाण है।

कला रामचंद्रन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विरासत तथा पर्यटन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HERITAGE AND TOURISM DEPARTMENT

Notification

The 3rd December, 2025

No. 12/250-2024/pura/4786-94.— Whereas, the Governor of Haryana is of the opinion that archaeological site and remains and ancient and historical monument specified in column 1 of the Schedule given below requires protection under the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964), the Governor of Haryana hereby proposes to declare the ancient and historical monument specified in column 1 of the Schedule given below, to be a protected archaeological sites and remains specified in columns 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the said Schedule to be protected area.

Notice is hereby given that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Heritage and Tourism Department, Chandigarh from any person with respect to the proposal before the expiry of the period so specified: -

SCHEDULE

Name of ancient and historical monument	Name of archaeological sites and remains	Name of village/ city	Name of tehsil / district	Revenue Khasra/ Kila number under protection.	Area to be protected	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Baoli at Tohana	Baoli at Tohana	Tohana	Tohana/ Fatehabad	Khewat No 191/26,192/26/ 228	02-18	Private	TohanaBaoli, also known as Purani Bay is a historical stepwell located near old bus stand in Tohana. While the specific details about its architect and exact construction date remain unknown. it is widely believed, based on historical accounts, particularly from J. Rodgers, that the

							Baoli was constructed during the era of the Lodhi rulers, who reigned from 1451 to 1526 CE. Positioned along the Delhi-Multan trade route, it served as a vital source of drinking water and a resting point for travelers and traders in that period. Architecturally, TohanaBaoli shares similarities with the Kaithal Baoli, featuring elegant design elements. Notably, the main arch of the second archway has a distinctive cusped profile, which reflects the architectural style of the time and adds to the historical significance of this structure. Despite its unprotected status, TohanaBaoli stands as a testament to the region's rich history and architectural heritage.

KALA RAMACHANDRAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Heritage and Tourism Department.

12239—C.S.—H.G.P., Pkl.